

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना।

अधिसूचना

संख्या- /डी0एल0ए0, सीतामढ़ी - 2548 /रा0,पटना, दिनांक-25-10-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- पचटकी.राम
थाना नं0- 09 राजस्व थाना- शिवहर अंचल- वैरगनिया, थाना- वैरगनिया
जिला-सीतामढ़ी, में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् इन्डो नेपाल बोर्डर पथ निर्माण के लिये सरकारी
खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचना किया जाता
है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- पचटकी.राम के अन्दर 2.85732 एकड़ भूमि अपेक्षित
है, जो मानक माप से कमोवेश बी0/क0/धूर है, जो 2.85732 एकड़ के बराबर होता है
जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है:-

खेसरा संख्या-443अं0, 2234अं0, 422अं0, 425अं0,444अं0 446अं0 447अं0 448अं0 449अं0
439अं0 450अं0 451अं0 456अं0 438अं0 437अं0 436अं0 452अं0 453अं0 454अं0 435अं0 433अं0
432अं0 431अं0 430अं0 429अं0 392अं0 12अं0 11अं0 13अं0

इसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-


उत्तर	खेसरा सं0 443अं0,422अं0,445अं0,446अं0,439अं0,438अं0,437अं0,436अं0,435अं0,433,392,12,11
दक्षिण	खेसरा सं0 2234,444,456,452,453,454,433,432,434,429,424,13,
पूरब	खेसरा सं0 13,14,
पश्चिम	खेसरा सं0 सीमान पचटकी.राम

यह अधिसूचना अधिनियम-1,1894(बिहार अधिनियम-11,1961 द्वारा यथा संशोधित) की
धारा-4 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध
हो।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यालय में देखा
जा सकता है और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि कुल- 2.85732 एकड़ भूमि कृषि
योग्य तथा उसका तुरन्त अर्जन आवश्यक है। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा
(4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (ए) अंश के उपबंध उक्त
भूमियों पर लागू नहीं होंगे।


सूमाहर्ता,
सीतामढ़ी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के अवर सचिव,
बिहार, पटना।


ज्ञापक - / डी0एल0ए0, सीतामढ़ी / - 25 48 / रा0, पटना, दिनांक - 25.10.13


प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सहित सी0डी0 के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, सीतामढ़ी को अधिसूचना की दो प्रतियाँ सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


समाहर्ता,
सीतामढ़ी।


सरकार के अवर सचिव,
बिहार, पटना।